संख्या– 3740(5)/71–2–2016–162/2016

प्रेषक,

अरिन्दम् भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक–07 सितम्बर, 2016

विषयः– शासनादेश संख्या–3688/71–2–2016–81/2016 दिनॉक–31.8.2016 में उल्लिखित समय–सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत शासनादेश के प्रस्तर–4 में उल्लिखित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में काउंसिलिंग एवं प्रवेश के सम्बन्ध में समय–सारणी निर्धारित की गयी हैं, जिसमें मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीटों पर प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि दिनॉक–08.9.2016 निर्धारित की गयी है। कृपया समस्त काउंसिलिंग सेन्टरों पर तद्नुसार आवंटित छात्रों को सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश सुचारू एवं सुगम रूप से सम्पन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्यित करें।

2– इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि अधिसूचना दिनॉक–20 एवं 22 अगस्त, 2016 के अनुसार निजी क्षेत्र के कालेजों में सीटों पर आवंटन/प्रवेश हेतु कम्बाईण्ड काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय–सारणी दिनॉक–31.8.2016 को निर्धारित की गयी है। अतः प्रथम चक्र के काउंसिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश की प्रकिया द्वितीय चक्र प्रारम्भ होने तक किसी भी समय सम्पन्न कराई जा सकती है, तथा दिनॉक–21.9.2016 तक अप्रवेशित सीटों की सूचना संकलित करते हुए द्वितीय चक्र प्रारम्भ होने के पूर्व सीट चार्ट पर प्रदर्शित किया जाना है।

कृपया तद्नुसार अपने स्तर पर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अरिन्दम् भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्याः—3740(5)/71—2—2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/न्याय विभाग/वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों से समस्त संबंधितों को आज ही संसूचित करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही एंव प्रबन्धन सुनिष्चित करने का कष्ट करें।
6. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. कुलपति, निजी क्षेत्र के समस्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
9. प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेंटल कालेज, उत्तर प्रदेश (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।